



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – 24/2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय) में शिक्षक के पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, आदि की जानकारी के लिए **झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026** परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के Exam Form Portal section में उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक **21.04.2026** से **21.05.2026** तक आमंत्रित किये जाते हैं।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या— 30/2024 के आलोक में सशुल्क आवेदन प्रपत्र भरे गये हैं, उनके लिए भी आवेदन प्रपत्र पुनः भरा जाना अनिवार्य होगा। उक्त अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार नये रूप से भाषा—I एवं नियमावली के अनुसूची—I के अनुरूप भाषा—II का चयन करेंगे तथा पोर्टल पर अन्य वांछनीय जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। इन आवेदकों को अलग-से कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।

1. वांछित अर्हता एवं योग्यता –

- (क) भारत का नागरिक हो,
- (ख) आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो।
- (ग) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ :

- (i) प्राथमिक कक्षा (कक्षा 01 से 05) एवं उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा 06 से 08) के शिक्षकों के लिए :—
परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 487 दिनांक 26.03.2026 (झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026) में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरूप।
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) सहित/पिछड़ा वर्ग-1/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रशिक्षण सत्रानुसार, न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (iii) अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 के नियम 6(ख)(i), 6(ख)(ii), 7 एवं 8 में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।
परन्तु निर्धारित/विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर, प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन, परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जायेगा। एतद् संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 5564/2019 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का पत्रांक 112852 दिनांक 04.08.2022 प्रभावी होगा।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य (वर्ग 01-05 एवं वर्ग 06-08) तथा विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (वर्ग 01-05 एवं 06-08) के लिए निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति प्राधिकार, संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा।

- (v) कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा।

आयु सीमा :-

- (vi) झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 01 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत होगा।

- परन्तुक (i)** झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक), जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों, की संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।
- (ii)** सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में एक वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
उदाहरण स्वरूप— यदि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो, तो एक वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम नौ वर्ष की छूट एकबारगी (One time) अवसर के रूप में दी जायेगी।

2. झारखण्ड शिक्षक पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा—

- (क) पात्रता जाँच परीक्षा के दो स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं।
(i) कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर – Level – 1
(ii) कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर – Level – 2
- (ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा, जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत् होगी :—
(i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – 02 घंटा 30 मिनट।
(ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8)– 02 घंटा 30 मिनट।
(iii) दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए – तीस मिनट का अतिरिक्त समय।
(दृष्टिबाधित दिव्यांग, सी.पी. (Cerebral Palsy) दिव्यांग एवं दोनों हाथों से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एवं इन्हें Scribe की व्यवस्था प्राप्त होगी)
- (ग) परिषद् के अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जाँच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी।
- (घ) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे।
- (ङ) प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों की अर्हता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इनकी कठिनाई का स्तर माध्यमिक/मैट्रिक या सक्रमक होगा।
- (च) उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जाँच परीक्षा के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक/+2 या समकक्ष होगा।
- (छ) परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध-शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हों।
- (ज) परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत् प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा :—

क्र०	वर्ग	कुल प्राप्तांक न्यूनतम (%)
I	सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	60
II	पिछड़ा वर्ग-1/पिछड़ा वर्ग-2	55
III	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह/दिव्यांग	52

- (झ) परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। जिसका उत्तर OMR Sheet में निर्धारित स्थान पर चिह्नित करना होगा। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जायेगी। परीक्षा के दौरान OMR Sheet पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। OMR से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने, गलत सूचना अंकित करने या गलत OMR का उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द माना जाएगा एवं इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी प्रकार के सुधार हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- (ज) OMR Sheet में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला या नीला करेंगे। सही प्रकार से काला या नीला नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी और दिए गए उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा।
- (ट) परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त OMR का पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा।

3. **परीक्षा शुल्क :-**

क्र0	वर्ग	प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05) के लिए (रुपये में)	उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08) के लिए (रुपये में)	प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05) एवं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08) दोनों के लिए (रुपये में)
I	सामान्य वर्ग	1,300 /—	1,300 /—	1,500 /—
II	अनुसूचित जाति	700 /—	700 /—	800 /—
III	अनुसूचित जनजाति	700 /—	700 /—	800 /—
IV	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह	500 /—	500 /—	600 /—
V	पिछड़ा वर्ग – 1	1,300 /—	1,300 /—	1,500 /—
VI	पिछड़ा वर्ग – 2	1,300 /—	1,300 /—	1,500 /—
VII	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	1,300 /—	1,300 /—	1,500 /—
VIII	दिव्यांग	700 /—	700 /—	800 /—

* शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात् उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगा। (Fee not refundable)

- अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सही-सही एवं त्रुटिरहित करेंगे। आपके द्वारा भरे गये प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षाफल का प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। ऑनलाइन भरे गये प्रविष्टियों में बाद में या परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक सभी प्रविष्टियाँ ध्यानपूर्वक भरेंगे। ऑनलाइन भरे गए आवेदन प्रपत्र ही स्वीकार किए जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। डाक या किसी अन्य माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।
- आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता की जाँच नियुक्ति के समय की जायेगी। यदि उक्त क्रम में कोई भी सूचना भ्रामक, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या असत्य पाया जायेगा तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उनका अभ्यर्थित्व परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी।
- कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले दो परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा।
- सफल उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्र की वैधता नियमावली में अंकित प्रावधानों के अनुसार उनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपाधियों एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता/सत्यता के फलाफल पर निर्भर/प्रभावित करेगा।
- झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सहायक आचार्य/विशेष शिक्षा सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा। यह मात्र एक पात्रता जाँच परीक्षा है।
- कृपया परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 से संबंधित सभी नियमावलियों, सूचनाओं, निदेश, परिपत्र, आदेश, आदि को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेंगे। उक्त में उल्लिखित प्रावधान ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

नोट :- विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी झारखण्ड अधिविद्य परिषद् भूल सुधार या टाईपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

अध्यक्ष के आदेश से,

JAC/JTET/2406/24-Secy/258/26

Dated – 28.03.2026

ह0 /—

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।